

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 16.06.2025 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-04/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पुत्र राजेश निवासी रजपुरवा थाना मंगलपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अ0सं0-08/2000 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्ता राजवती पत्नी बुध्दू कंजड निवासिनी कंजड डेरा सैंथा थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-85/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम सरवनखेड़ा थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0नं0-3570/2020 धारा 323/451/504 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश पासवान पुत्र कल्लू निवासी ग्राम लोहारी थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0-276/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शिवशंकर पुत्र अमरसिंह निवासी जवाहरनगर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0-178/07 धारा 419/120/468/467/471/409/203 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुघर सिंह पुत्र सियाराम निवासी गहोवा थाना रूरा 2. रामपाल पुत्र खूबलाल निवासी जगदीशपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अ0सं0-29/25 धारा 85/80(2)/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भोलू उर्फ निखिल उर्फ श्रीकान्त पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम बर्गा-ठर्रा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-13/01 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त फूल सिंह पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम जमालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पूतन पुत्र विजय पाल निवासी ग्राम दिवई जनपद फतेहपुर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-273/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अनीश कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश कुशवाहा निवासी ग्राम सेनपूरा पारा थाना सेन पश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर 2. अजीत कुशवाहा पुत्र अशोक कुशवाहा निवासी ग्राम सेनपूरा पारा थाना सेन पश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर अभियुक्तगण द्वारा एटीएम मशीन में रूपये निकलने वाली जगह पर प्लास्टिक की प्लेट चिपका देना जिससे रूपये निकालने आने वाले ग्राहकों के रूपये अभियुक्तगणों द्वारा लगाई गयी प्लास्टिक की प्लेट में फंस जाना, कुछ समय पश्चात ग्राहक के चले जाने के उपरान्त अभियुक्तगणों द्वारा एटीएम मशीन में फंसे रूपयों को निकाल लेने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-274/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 35 (1) बीएनएसएस व 65/66 आईटी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 20 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों व थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।